

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा

बहुल फरीद खान बनाम उर्मिला
 किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 92A, 188 R.A. नं. 288 / दावा / सन् 2025..

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
6/5/25	वाद पत्र सरिस्ते से बाद रिपोर्ट होकर पेश हुआ। वादी मय अभिभाषक उपस्थित हुए। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी रिपोर्ट दिनांक 30/5/2025 को पेश हो।	
30/5/25	वाद पत्र हुइ अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित है। आज उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौर में तशरीफ रखते है अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलैन्स पर है। अतः तलबी साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 31/6/25 को पेश हो	
10/6/25	पत्रावली आज प्राप्त पत्र वास्ते पत्रावली तलब जमाकर नोट प्रेस के आधात पर वाद पत्र को खारिज किये जाने बाबत पेश कले पर पेश हुई। वकील वादी नै वाद पत्र को इसी स्तर पर खारिज कले बाबत Next Press हेतु निवेदन कर वाद पत्र को Next Press किया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र Next Press कले एवं इस बाबत प्राप्त पत्र पेश कले से प्रतीत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमा होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तलबी नियमानुसार वापिल दफ्त हो।	Not 5